न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 28/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 8.2.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 आनन्दीबाई पुत्री सुक्खा जाति भोई निवासनी खातोली पत्नी किशनगोपाल जाति भोंई निवासिनी हाल नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

1 ग्राम पंचायत खातोली जरिये सरपंच
2 पुरूषोतम पुत्र मांग्या जाति भोई निवासी खातोली
3 ग्यारस्या पुत्र सुक्खा जाति भोंई निवासी खातोली
4 अशोक कुमार पुत्र श्यामलाल जाति कलाल निवासी खातोली
5 ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी ब्राहमण पाडा श्योपुर जिला श्योपुर म0प्र0।
6 ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम जाति खाती निवासी बेडावदा तहसील श्योपुर म0प्र0।
7 सुरेश शर्मा पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रमाकांत लोहिया अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 व 3

::निर्णय::

दिनांक 5.12.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 143/2015 बउनवान आनन्दीबाई बनाम ग्राम पंचायत खातोली वगेरा अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 11.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि सेटलमेंट से पूर्व ग्राम खातोली मे अपीलांट के पिता सुक्खा वल्द नेनगा भोई निवासी खातोली के दर्ज आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा , ख0 नं0 296 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, ख0 नं0 473 रकबा 9 बिस्वा कुल 3 किता रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा का सुक्खा की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत खातोली द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 93 दिनांक 7.7.1958 बिना वारिसान के सजरे की जांच किये भाई मांग्या व ग्यारस्या के पक्ष मे तस्दीक कर दिया गया जबकि अपीलांट भी मृतक की जायदा पुत्री थी। अतः इन्तकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर निर्णय दिनांक 11.1.2018 से खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील बेरून मियाद मानकर खारिज करने मे त्रुटि की है जबकि अपीलांट ने नामान्तरकरण की की सर्वप्रथम जानकारी का सही विवरण देकर अपील प्रस्तुत की है। विवादित आराजी पैतृक है जो सुक्खा जी के खाते थी तथा जब सुक्खा जी का स्वर्गवास हुआ तब अपीलांट की आयु 10 वर्ष की थी जिसको जमीन व राजस्व रिकार्ड की

जानकारी नही थी। उक्त विवादित आराजी मे अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित है जिसको वह अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारणी है ऐसी स्थिति मे विधि विरूद्ध तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलांटा शादी के बाद पति के साथ नैनवा मे निवास करती है तथा वह अपने भाईयो पर पूरा भरोसा करती थी इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड देखने की कोई जरूरत नही आई। नामान्तरकरण मे ना तो सजरा दर्ज किया गया ना ही परिवार के सदस्यो का नाम अंकित किया गया। सुक्खा की मृत्यु के बाद भाई मांग्या व ग्यारस्या के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। उक्त कार्यवाही गुपचुप तरीके से हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण नही कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास 1958 मे हो गया था। गलत नामा0 तस्दीक हो जाने से उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर रेस्पो0 कम 2 के पिता मांग्या का स्वर्गवास हो गया। रेस्पो0 कम 2 ने इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त आराजी के नये ख0 नं0 की आराजी ख0 नं0 411 रकबा 0.83 है0 दक्षिण दिशा की रेस्पो0 कम 4 ता 7 को विक्रय करदी है तथा मांग्या के अन्य वारिस मुन्नी, भंवरी एवं मांग्या की पत्नी रामप्यारी ने जरिये हक त्याग उनके हिस्से की आराजी रेस्पो0 कम 2 पुरूषोत्तम के ह कमे रिलीज डीड द्वारा छोड दी उक्त हिस्सा आराजी मे भी अपीलांट का हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकारान के बीच लम्बित प्रकरणो की जो छाया प्रतियां पेश की गई है उससे उक्त अपील के मेरिट पर निस्तारण करने मे कोई फर्क नही पडता है। अवैधानिक आदेश को चुनोती देने/निरस्त करने की कोई सीमा नही है पक्षकार को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर उसको चेलेन्ज किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गोर किये बिना आलौच्य आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जेरअपील 11.1.2018 निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण सं0 93 निरस्त किया जाकर उपरोक्त आराजी मे अपीलांट का नाम 1/3 हिस्से मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 कम 4, 5, 6, 7 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर तामील पूर्ण मानी गई तदउपरांत अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्पो0 कम–1 लगायत 3 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि नामा0 सं0 93 बिना वारिसान की जांच किये तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी खातेदार स्व0 सुक्खा के माग्या, ग्यारस्या पुत्र एंव अपीलांटा पुत्री है अतः स्व0 सुक्खा की आराजी मे अपीलांटा का 1/3 हक हिस्सा निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक सुक्खा का फौती नामान्तरकरण सं0 93 तस्दीक किया गया जिसमे अपीलांटा का नाम छोड दिया गया। नामा0 कौरम द्वारा तस्दीक नही किया गया। सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 8 अनुसार अपीलांटा मृतक खातेदार की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस उत्तराधिकारी है। सरंपच ग्राम पंचायत द्वारा पुत्री आनन्दीबाई को नोटिस नही दिया ना ही उत्तराधिकार की जांच की गई। विवादित आराजी के नामा0 की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे नामा0 के विरूद्ध अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय गुणावगुण पर विचार किये बिना ही मियाद के बिन्दू पर आलौच्य निर्णय पारित कर खारिज करने मे त्रुटि की है क्योंकि जहां प्रकरण मे कानूनी व सारवान तथ्य निहित हो तो मियाद के बिन्दू को गौण माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1984 पेज 45, आरबीजे 1998 पेज 43 आरबीजे 1997 पेज 178 आरआरडी 1998 पेज 319, डीएनजे(सुप्रीम) 2017 पेज 928, आरआरडी 1982 पेज 332, डीएनजे(सुप्रीम) 2015 पेज 592, आरआरडी 1996 पेज 457 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपीलांट की अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय 11.1.2018 एव नामा0 सं0 93 अपास्त किया जावे।।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम 1 व 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि नामा0 93 दिनांक 7.7.1958 को तस्दीक किया गया है जो काफी पुराना है। अपीलांटा द्वारा वर्ष 1958 मे सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 19.10.95 को अपील पेश कर चुनोती दी गई है जो अवधि बाधित होने से अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गुणावगवुण पर विचार किये बिना मियाद के बिन्दू पर खारिज की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य जेरअपील निर्णय विधिसम्मत है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम 1 व 2 ने आलोच्य निर्णय के अतिंम पैरा मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकट किये गये अभिमत की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कथन किया कि अपीलांटा को राजस्व रिकार्ड की सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 7.10.15 को होना वर्णित किया गया जबकि वस्तुतः राजस्व

अति० स० बाबू
कोटा

रिकार्ड की जानकारी अपीलाटा को लम्बे से समय होने के बावजूद भी अपील के साथ संलग्न शपथ पत्र मे असत्य कथन अंकित किये जाकर अपील पेश की गई थी। बहस मे आगे कथन किया निर्णय प्रार्थना पत्र सं0 97/97 दिनांक 1.2.1997 एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की पत्रावली की आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 25.2.2000 तथा वाद न्याया0 एसडीओ इटावा बउनवान मांगीबाई बनाम मांगीलाल मे अपीलांटा पक्षकार होने से उसको उक्त नामा0 की जानकारी पहले से होने की पुष्टि करते है। अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे 2016 पेज 226, आरबीजे 2000 (7)पेज 358 आरबीजे (24) 2017 पेज 95 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण मे उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गौर किया गया। अपीलाटां द्वारा नामा0 सं0 93 दिनांक 7.7.1958 ग्राम खातौली खातेदार सुक्खा के फौत होने उपरांत उसके सुलभी लडके मॉग्या, ग्यारस्या के पक्ष मे सरपंच ग्राम पंचायत खातोली द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलांटा ने उक्त नामा0 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा मे दिनांक 19.10.2015 को प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रस्तुत कर अपील मे मृतक सुक्खा की पुत्री होना वर्णित करते हुये विवादित आराजी मे स्वयं का 1/3 हिस्सा निहित होने एवं नामान्तरकरण मे उसका नाम छोड दिये जाने से नामा0 सं0 93 को खारिज करने हेतु प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील मे मियाद सम्बन्धी असत्य अंकित किये जाने से अपील को मियाद के बिन्दू पर निर्णय दिनांक 11.1.2018 से खारिज किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ''नामान्तरकरण सं0 93 कोरम द्वारा तस्दीक नही कर सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया जिसमे अपीलांटा का नाम छोड दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांटा मृतक खातेदार की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है। सरंपच द्वारा आनन्दीबाई को नोटिस नही दिया ना ही उत्तराधिकार की जांच की गई। अधीनस्थ न्यायालय अपील का मेरिट पर निर्णय नही कर मियाद के बिन्दू पर खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि जहां प्रकरण मे कानूनी व सारवान तथ्य निहित हो तो मियाद के बिन्दू को गौण माना गया है''। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 व 2 ने नामा0 सं0 93 की जानकारी अपीलांटा को पूर्व से ही होना तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील मे तथा शपथ पत्र मे जानकारी के संबध मे गलत तथ्य अकिंत किये जाने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को जेरअपील निर्णय 11.1.2008 से मियाद के बिन्दू पर खारिज किया है जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नकल दस्तावेजात प्रार्थना पत्र सं0 97/97 दिनांक 1.2.1997 एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की पत्रावली की आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 25.2.2000 तथा न्याया0 एसडीओ इटावा मे जेरकार वाद बउनवान मांगीबाई बनाम मांगीलाल मे अपीलांटा पक्षकार होने से उसको नामा0 सं0 93 की जानकारी पहले से होने की पुष्टि करते है। ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत अपील तथा संलग्न शपथ मे असत्य तथ्य अंकित किया जाना प्रकट होता है। उक्त तथ्यों के आलोक मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीरें आरआरडी 1984 पेज 45, आरबीजे 1998 पेज 43 आरबीजे 1997 पेज 178 आरआरडी 1998 पेज 319, डीएनजे(सुप्रीम) 2017 पेज 928, आरआरडी 1982 पेज 332, डीएनजे(सुप्रीम) 2015 पेज 592, आरआरडी 1996 पेज 457 चस्पा नही होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रकरण मे तथ्यो का समुचित विवेचन करते हुये अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश प्रतीत नही होती है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 5.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा